15 04/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी माधोसिंह ने दिनांक 24-03-2025 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को विड्रॉल जरिये खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण को जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner